



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267339
CG-DL-E-03112025-267339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4803]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947

No. 4803]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4958(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 1755 (E) तारीख 16/04/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH 302 के कि.मी. 25.409 से कि.मी. 39.246 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा (3) के अधीन क्रमशः दिनांक 5 मई, 2025 और 16 मई, 2025 को “रालवेगटू” और “हिलिमथला” में प्रकाशित किया गया है;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH 302 के कि.मी. 25.409 से कि.मी. 39.246 (डिप्टी कमिश्नर काम्प्लेक्स, वेंगलई, लुंगलेई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मिजोरम			जिले का नाम: लुंगलेई		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लुंगलेई					
गांव का नाम: पचांग					
1	पीपी 17/2006	निजी	ड्राय	0.014816	वैनिनमाविया सी/ओ रोचमलियाना राल्ते
2	पीपी 44/1988	निजी	ड्राय	0.397116	के लालेंगलियाना
3	वीसीजी 36/2004	निजी	ड्राय	0.131909	आर्सी रामनुनथांगी
Total				0.543841	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Lunglei/Lunglei-Tlabung/NH-302/03/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

S.O. 4958(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 1755 (E) Dated: 16/04/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 302 in the stretch of land from Km. 25.409 to Km. 39.246 in the district of LUNGLEI in the state of MIZORAM;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Ralvengtu” and “Hlimthla” dated 5th May, 2025 and 16th May, 2025 respectively; under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 302 in the stretch of land from Km. 25.409 to Km. 39.246 (Deputy Commissioner Complex , Venglai , Lunglei) in the district of LUNGLEI in the state of MIZORAM.

State: MIZORAM			District: LUNGLEI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lunglei					
Village: Pachang					
1	PP 17/2006	Private	Dry	0.014816	Vaninmawia C/o Rochamlia Ralte
2	PP 44/1988	Private	Dry	0.397116	K Lalenglina
3	VCG 36/2004	Private	Dry	0.131909	RC Ramnunthangi
Total				0.543841	

[F. No. NHIDCL/PMU-Lunglei/Lunglei-Tlabung/NH-302/03/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director